न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 201/2019

GCMS NO. : 2019/00229

–: वादीगण:– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण:

1. नारायण पुत्र तीलिया
   जाति– माली, निवासी– जैतारण
   तहसील– जैतारण, जिला– पाली,
   राज0।

प्रतिवादीगण:

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली
2. मैनादेवी पत्नि माँगीलाल
3. ओगड़राम पुत्र चुन्नीलाल
4. रामसुख पुत्र चुन्नीलाल
5. टीमुदेवी पत्नि सुगनचन्द
6. चेतनप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल
7. शांतिदेवी पत्नि कामाराम
8. शंकरलाल पुत्र तिलिया
9. कंकूदेवी पत्नि नारायण
   जातिगण– माली, निवासी– आगेवा रोड़
   जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला–
   पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.07/10/2019**

उपस्थित:–
1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी।
3. श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 24/11/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद जैतारण पटवार हल्का– जैतारण में वादी व इनके भाईयों की शामलाती पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम की आई हुई है जिसकी जमाबन्दी की नकल दावा के साथ पेश है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। दावे के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में वादी के पिता तीलिया का वक्त सेटलमेन्ट से 1/2 हिस्सा आया हुआ है जो राजस्व रेकर्ड में वर्णित है। जिसकी जमाबन्दी की नकल के साथ पेश है। उपरोक्त आराजी वादी के पैतृक पुश्तैनी होने से वादी के पिता तीलिया का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरण से तीलिया के स्थान घेवर, [illegible] नारायण, शंकरलाल पिसरान तीलिया का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में [illegible] सही है। उक्त आराजी में से वादी के भाई शंकरलाल पुत्र तीलिया [illegible] 1/6 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested

1/2 वां हिस्सा कंकूदेवी पत्नि नारायण को बैचान करने पर कंकूदेवी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में नाम दर्ज किया तब घेवर, चोलाराम, चन्द्राराम, मोहनलाल, नारायण पिसरान तीलिया 5/12 शंकर पिसरान तीलिया 1/24 हिस्सा कंकूदेवी पत्नि नारायणलाल 1/24वां हिस्सा यानि कुल भूमि का हिस्सा निकाल कर लिख दिया फिर भी उसके आगे कोष्ठक बनाकर 1/2 इन्द्राज सेवन से सिलिफ ऑफ पैन से हो गया जिसको जरिए दुरूस्ति के सही (शुद्धि) किया जाना आवश्यक है, यानि कंकूदेवी पत्नि नारायण 1/24 के कोष्ठक 1/2 लिखा उसे हटाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के खातेदार घेवर पुत्र तीलिया फौत होने पर विरासत से घेवर पुत्र तीलिया के स्थान पर चम्पालाल, चिमना, किशनलाल, बगदाराम पिसरान घेवर, किन्यादेवी, पिरतादेवी, सुन्दरी पिसरान घेवर, चौथी देवी बेवा घेवरराम के नाम नामान्तरण संख्या 2946 के दर्ज हुये जो सही है। उक्त आराजी में से वादी के चार भाई घेवर के वारिसान चम्पालाल वगैरा, चौलाराम, मोहनलाल माली ने अपने हिस्से की भूमि बैचान करने पर मैनादेवी पत्नि मांगीलाल 1/18, ओगड़राम पुत्र चुन्नीलाल 1/18, रामसुख पुत्र चुनीलाल 1/18, टीमूदेवी पत्नि सुगनचंद 1/18, चेतनप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल 1/18, शांतिदेवी पत्नि कामाराम 1/18, हिस्सा व नारायण पिसरान तीलिया 1/12 नामान्तरण संख्या 2985 दिनांक 19.5.2020 को भरा गया जो सही भरा गया यानि वादी के चारों भाई ने कुल भूमि का हिस्सा निकाल कर बैचान की थी। जो सही है। यानि राजस्व रेमर्ड में सभी खातेदारान का कुल भूमि का हिस्सा निकाल दर्ज कर दिंया उसके बाद में कोष्ठक बनाकर 1/2 सिलिफ ऑफ पैन से दर्ज हो गया उसे हटाया जाना आवश्यक है। यदि कोष्ठक 1/2 दर्ज रहता है तो वादी के हिस्से की जमीन आधी रह जाती हैं। जबकि वादी के पिता तीलिया का सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा था तीलिया के छः पुत्र थे। जो राजस्व रेकर्ड में वर्णित नाम से साबित है। इसलिए वादी का 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि कुल भूमि में 1/12 वां हिस्सा आता है इसलिए वादी का कुल भूमि का 1/12 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा दर्ज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंत में कोष्ठक बनाकर 1/2 सिलीफ ऑफ पैन से दर्ज होने से कुल भूमि में 1/24 हिस्सा मानकर पटवारी भूमि प्रमाण पत्र जारी करते है जिससे वादी अपने हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी जमीन पर बैंक से ऋण नहीं ले सकता है न ही राज्य सरकार कीं योजनाएँ का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। इसलिए वादी को कुल भूमि का 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादी काश्ताकार है वादी द्वारा जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो वादी को सर्व प्रथम ज्ञात हुआ कि वादी का राजस्व रेकर्ड में 1/12 वां हिस्सा तो दर्ज है लेकिन में कोष्ठक में 122 होने से वादी का अपने हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में आधी ही आती है। राजस्व रेकर्ड में सभी खातेदारान के नाम अंत में कोष्ठक में 1/2 गलत दर्ज हो गया। जिसकों जरिये दुरूस्ति के हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा समय समय पर तहसील कार्यालय में निवेदन किया कि मेरा हिस्सा सही दर्ज किया जावे यानि अंत में कोष्ठक में 1/2 को हटाया जावें। लेकिन आज दिन तक वादी का हिस्सा राजस्व रेकर्ड [illegible] इसलिए श्रीमानजी के समक्ष दावा घोषणा व दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है। वादी [illegible] दावा दिनांक 08.08.2019 को राजस्व रेकर्ड में नकलें व भूमि [illegible] राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी का हिस्सा गलत दर्ज का सर्व प्रथम ज्ञात होने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है व वाद का अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया कि मौजा जैतारण के ख0 न0 733 रकबा 62-15 बीघा में जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में सह खातेदार के साथ में दर्ज है। जमाबन्दी 2061-2064 में खसरा नम्बर 733 रकबा 62-15 बीघा में घेवर चोलाराम चन्द्राराम मोहन नारायण शंकरलाल पिसरान तीलिया हिस्सा 1/2 दर्ज था। वादी के भाई शंकरलाल हिस्सा 1/12 में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/24 वां हिस्सा कंकूदेवी को बैचान किया गया अर्थात् शेष घेवर 1/12, चोलाराम 1/2, मोहन 1/12, नारायण 1/12 एवं शंकरलाल 1/24 शेष रहा है। परन्तु लिपिकीय त्रुटि से उपरोक्त वादीगण के हिस्से के बाहर ( ) लगा दिया जो गलत है। घेवर फौत होने पर नामान्तरण संख्या 2946 दर्ज हुआ जिससे घेवर के वारिसानों के नाम दर्ज हुआ। वादी के चार भाई यथा चम्पालाल वगैरा पिसरान घेवर, चौलाराम, मोहनलाल, चन्द्राराम हिस्सा 4/12 जरिये नामान्तरण संख्या 2985 दिनांक 19.05.2010 दर्ज कर बैचान किया जिसमें मैनादेवी 1/18, ओगड़राम 1/18, रामसुख 1/18, टीमूदेवी 1/18, चेतनप्रकाश 1/18, शांतिदेवी 1/18, एवं नारायण पुत्र तीलिया 1/12 शेष रहा जो सही है। वादी का हिस्सा जमाबन्दी में 1/12 दर्ज है वो सही हैं, परन्तु 1/12 के आगे ( ) को हटाना आवश्यक है जो सही है। वादीगण के हिस्से के बाद लगा ( ) एवं 1/2 हटाया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण के हिस्से के आगे ( ) 1/2 हटाया जाना उचित है। पैरा संख्या 9 व 10 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

वादी एवं प्रतिवादी की और से राजीनामा पेश किया गया जो सा0 मि0 है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश राजीनामा निम्नलिखित है कि वाद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा में तीलिया का 1/2 वा हिस्सा आया हुआ है। जो राजस्व रेकर्ड में वर्णित है। तीलिया का देहान्त होने पर तीलिया के स्थान पर घेवर चौलाराम चन्द्राराम मोहन नारायण शंकरलाल पिसरान तीलिया का 122 दर्ज हुआ, जो सही है। जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में बैचाननामा का म्यूटेशन भरते वक्त हिस्सा दर्ज किया फिर भी उसके आगे कोष्ठक बनाकर 1/2 इन्द्राज सेवन से सिलिफ ऑफ पैन से हो गया। जिसको हटाया जाना आवश्यक है। अब हम खातेदारान् के बीच राजीनामा हो गया है कि माफिक वाद रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जावें। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो सा0 मि0 है। बहस वकुलाय व सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होकर तस्दीक हुआ है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 733 रकबा 62-15 बीघा में खातेदार तीलिया का हिस्सा 1/2 है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। तीलिया का देहान्त होने पर तीलिया के स्थान पर घेवर, चोलाराम, चन्द्राराम, मोहन, नारायण, शंकरलाल तीलिया का 1/2 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज हुआ जो सही है, जमाबन्दी संवत् 2065-2068 में बैचाननामा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरण भरते समय हिस्सा दर्ज किया फिर भी उसके आगे कोष्ठक लगाकर 1/2 इन्द्राज सहवन से कर दिया जो गलत है तथा जिसे हटाना आवश्यक है, जिस पर खातेदारान को कोई आपत्ती नहीं है। तहसीलदार, जैतारण ने भी वाद-वादी के कथनों से सहमति प्रकट करते हुए अपने जवाबदावे में वादी के हिस्से के आगे अंकित( ) 1/2 प्रविष्टि को विलोपित किए जानें की इस्तदुआं की है। वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख जमाबंदी संवत् 2061-2064, 2065-2068 व 2073-2076 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2061-2064 में घेवर, चोलाराम, चन्द्राराम, मोहन, नारायण, शंकरलाल पिसरान तीलिया का हिस्सा 1/2 अंकित है जिसे उभय पक्षकारान एवं तहसीलदार, जैतारण द्वारा सही होना जाहिर किया है। 2063-2068 की जमाबंदी में घेवर, चोलाराम, चन्द्राराम, मोहन, नारायण, शंकरलाल पिसरान तीलिया 5/12(शंकरलाल पि0 तीलिया 1/24 व कंकूदेवी पत्नी नारायण 1/24)1/24 अंकित है, प्रथम तो उभय पक्षकारान द्वारा 1/24 के आगे की प्रविष्टि( )1/2 को गलत माना है, द्वितीय भू-अभिलेख मे ऐसी प्रविष्टि का कोई आधार उपलब्ध नहीं है तथा इस प्रविष्टि से सम्पूर्ण खाते का खातेदारान के मध्य हिस्सा विभाजन का कुल योग भी अशुद्ध हो जाता है, अतः यह प्रविष्टि अनावश्यक एवं अशुद्ध है, जिसे विलोपित किया जाना एवं विरासतन वादी को 1/12 भाग का खातेदार घोषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा साबित तस्दीक होनें से स्वीकार करते हुए ग्राम- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 732 रकबा 0-17 बीघा, गै0 मु0 बेरा एवं खसरा संख्या 733 रकबा 62-15 बीघा, किस्म चाही सोयम की आराजी में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टयों चंद्राराम, मोहनलाल, नारायण पिसरान तीलिया- 5/12, शंकरलाल पिसरान तीलिया 1/24 कंकूदेवी पत्नी नारायण 1/24) 1/2 में से अशुद्ध एवं अतिरिक्त प्रविष्टि) 1/2 को विलोपित करते हुए वादी एवं खातेदार नारायण पुत्र तीलिया को विरासतन् 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी निमित निर्णय होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/11/2020 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगणः- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. नारायण पुत्र तीलिया
जाति- माली, निवासी- जैतारण
तहसील- जैतारण, जिला- पाली,
राज0।

प्रतिवादीगण:

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली
2. मैनादेवी पत्नि माँगीलाल
3. ओगड़राम पुत्र चुन्नीलाल
4. रामसुख पुत्र चुन्नीलाल
5. टीमुदेवी पत्नि सुगनचन्द
6. चेतनप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल
7. शांतिदेवी पत्नि कामाराम
8. शंकरलाल पुत्र तिलिया
9. कंकूदेवी पत्नि नारायण
जातिगण- माली, निवासी- आगेवा
रोड़ जैतारण, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 201/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सरकारी पैरोकार राज अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा साबित तस्दीक होनें से स्वीकार करते हुए ग्राम- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 732 रकबा 0-17 बीघा, गै0 मु0 बेरा एवं खसरा संख्या 733 रकबा 62-15 बीघा, किस्म चाही सोयम की आराजी में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टयों चंद्राराम, मोहनलाल, नारायण पिसरान तीलिया - 5/12, शंकरलाल पिसरान तीलिया 1/24 कंकूदेवी पत्नी नारायण 1/24) 1/2 में से अशुद्ध एवं अतिरिक्त प्रविष्टि) 1/2 को विलोपित करते हुए वादी एवं खातेदार नारायण पुत्र तीलिया को विरासतन् 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी निमित निर्णय होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .... को ....

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख ..... 2020 को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07	-00	स्टाम्प वकालतनामा	02	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		-	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	10	-00	मिजानः-	02	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 12:28:30 IST
Reason: SelfAttested